eb] 2018 ijh{kk d: fy;s i:;kT;rk

अध्ययन सामग्री (जुलाई 2015 संस्करण), अभ्यास पुस्तिका (अप्रैल 2016 संस्करण) "नवम्बर 2017 परीक्षा तथा बाद के लिये पूरक अध्ययन पेपर" के साथ मई 2018 परीक्षा के लिये सम्बन्धित है। पूरक अध्ययन पेपर 2017 व्यवसाय तथा कम्पनी विधि भाग में 1 मई 2015 से 30 अप्रैल 2017 तक किये सभी सम्बन्धित संशोधनों/परिपत्रों / अधिसूचनाओं आदि को बताता है। अतिरिक्त व्यावसायिक विधि तथा कम्पनी विधि भाग में 1 मई 2017 से 31 अक्टूबर 2017 में सभी सम्बन्धित संशोधनों/परिपत्रों/अधिसूचनाएँ आदि नीचे सन्दर्भित है :

1 eb: 2017 l: 31 vDVwcj 2017 rd lEcfU/kr dkuwuh l:'kks/kuk				
dEiuh vf/kfu;e 2013@ fuxeh; dkuwu				
Ø- l-	l: lEcfU/kr l:'kks/ku	lEcfU/kr l:'kks/ku	v/;;u lkexh @ ijd v/;;u i:ij lEcfU/kr i:ko/kku d: lUnHkZ d: lkFk **(SSP)** d: i:t l:[;k	i:o: dkuwu
1.	सरकारी कम्पनियों को छूट अधिसूचना G.S.R. 582 (E) दिनांकित 13 जून 2017 के साथ	केन्द्र सरकार ने अधिसूचना G.S.R. 463 (E) दिनांकित 5 जून 2015, जहाँ भी सरकारी कम्पनी के मामले में प्रदान अपवाद, संशोधनों तथा रूपांतरों को संशोधित है। निम्नलिखित संशोधनों है : धारा 96 की उप–धारा (2) में	अध्ययन सामग्री की पेज संख्या 6.128 तथा पूरक अध्ययन पेपर का पेज 12	ऐसे अन्य स्थान के रूप में केन्द्र सरकार इस पक्ष में अनुमोदन कर सकती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		"ऐसे अन्य स्थान के रूप में केन्द्र सरकार इस पक्ष में अनुमोदन कर सकते है" शब्दों के लिये "ऐसा अन्य स्थान शहर, नगर या गाँव के भीतर स्थित है जहाँ कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है या अन्य ऐसे स्थान के रूप में केन्द्र सरकार इस पक्ष में अनुमोदन कर सकते है" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होगा।		
	मूलभूत अधिसूचना G.S.R. 463 (E) दिनांकित 5 जून 2015 में पैराग्राफ 2A की प्रविष्टि A	उपर्युक्त अपवादों, संशोधनों तथा रूपांतरों (अर्थात् अधिसूचना G.S.R. 463 (E) दिनांकित 5 जून 2015 तथा अधिसूचना G.S.R. 582 (E) दिनांकित 13 जून 2017 में दिये) को एक सरकारी कम्पनी पर लागू होंगे जो कम्पनी अधिनियम की धारा 137 के तहत अपने वित्तीय विवरण या इस अधिनियम की धारा 92 के तहत वार्षिक विवरण पंजीयक के पास फाइल करने में कोई चूक नहीं की जाती है।		
2.	प्राइवेट कम्पनियों को छूट अधिसूचना G.S.R. 583 (E) दिनांकित 13 जून 2017 के साथ	केन्द्र सरकार ने अधिसूचना G.S.R. 464 (E) दिनांकित 5 जून 2015, जहाँ भी प्राइवेट कम्पनी के मामले में अपवादों, संशोधनों तथा रूपांतरों प्रदान थे संशोधित है। निम्नलिखित संशोधन है : 1. अध्याय V में धारा 73 की उप–धारा (2) के वाक्यांश (a) से (e) एक प्राइवेट कम्पनी पर लागू नहीं होगें – (अ) जो अपने सदस्यों से जमा प्रदत्त अंश पूंजी, मुक्त संचय	पूरक अध्ययन सामग्री की पेज संख्या 15 तथा अध्ययन सामग्री की 6.63	(1) धारा 73 के वाक्यांश (a) से (e) सदस्यों से जमा की स्वीकृति के लिये शर्तें प्रदान करती है। अधिसूचना दिनांकित 5 जून 2015 प्रदान करती है कि धारा 73 की उप धारा 2 के

© The Institute of Chartered Accountants of India

		तथा प्रतिभूति प्रीमियम के कुल के एक सौ प्रतिशत से ज्यादा राशि नही है; या (ब) जिसको अपने निगमन की तिथि से पाँच वर्षों के लिये एक उद्यम है; या (स) जो मुख्यतः निम्नलिखित शर्तों को सभी पूरा करता है :– (अ) जो किसी अन्य कम्पनी की एक सहायक कम्पनी या एक सहयोगी नही है; (ब) यदि ऐसी कम्पनी की ऋण बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी बॉडी निकाय से इसकी प्रदत्त अंश पूँजी के दुगुने या पचास करोड़ रूपये जो भी कम हो से कम है; तथा (स) ऐसी कम्पनी इस धारा के तहत स्वीकृत जमा के समय पर ऐसी बकाया संविदा के पुर्नभुगतान में चूक नही की है : बशर्ते कि कम्पनी (A), (B) या (C) वाक्यांश में सन्दर्भित ऐसे तरीके निर्दिष्ट हो सकते है में पंजीयक को स्वीकृत राशि का विवरण फाइल करेगा।		वाक्यांश (a) से (e) प्राइवेट कम्पनी पर लागू नहीं होंगे जो अपने सदस्यो से जमा प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचय के कुल के एक सौ प्रतिशत से अधिक नही राशि है तथा ऐसी कम्पनी जमा के रूप में राशि का विवरण पंजीयक को ऐसे निर्दिष्ट तरीके में फाइल करेगा।
		(2) अध्याय VII में, धारा 92 की उप–धारा (1) के वाक्यांश (g) प्राइवेट कम्पनी पर लागू होंगे	पेज संख्या 6. 124	(2) धारा 92 की उप–धारा (1) के वाक्यांश (g)

© The Institute of Chartered Accountants of India

		जो मुख्यतः लघु कम्पनियाँ है :– "(g) निदेशकों द्वारा आहरित पारिश्रमिक की कुल राशि;"		निदेशकों तथा मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक" के रूप में पढ़ा है।
		(3) अध्याय VII में, धारा 92 की उप–धारा (1) के लिये परन्तुक, परन्तुक के लिये, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित होगा, मुख्यतः – "बशर्ते कि एकल व्यक्ति कम्पनी, लघु कम्पनी तथा प्राइवेट कम्पनी (यदि ऐसी प्राइवेट कम्पनी उद्यम है। के सम्बन्ध में, वार्षिक विवरण कम्पनी सचिव, या जहाँ कोई कम्पनी सचिव नही है, कम्पनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होगा।"	पेज संख्या 6. 125	(3) जहाँ भी एकल व्यक्ति कम्पनी तथा लघु कम्पनी के सम्बन्ध के साथ वार्षिक विवरण कम्पनी सचिव द्वारा, या जहाँ कोई कम्पनी सचिव नही है, कम्पनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
	मूलभूत अधिसूचना G.S.R. 464 (E) दिनांक 5 जून, 2015 में पैराग्राफ 214 की प्रविष्टि	उपर्युक्त अपवादों, संशोधनों तथा रूपांतरों एक प्राइवेट कम्पनी पर लागू होंगे जो धारा 137 के तहत अपने वित्तीय विवरण या इस अधिनियम की धारा 92 के तहत वार्षिक विवरण को पंजीयक के पास फाइल करने में कोई चूक नहीं की जाती है।		
3.	अधिसूचना S.O. 3086 (E) दिनांकित 20 सितम्बर 2017 के साथ	केन्द्र सरकार एतत् द्वारा 20 सितम्बर, 2017 दिनांक के रूप में नियुक्त पर इस अधिनियम की धारा 2 के वाक्यांश (87) के लिये परन्तुक बाध्य रूप से प्रभाव	पेज संख्या 6.8	पूर्व में अधिसूचित नही

© The Institute of Chartered Accountants of India

		में आयेगा।		
dei pkjh Hkfo"; fuf/k rFkk fofo/k i kko/kku vf/kfu;e] 1952				

© The Institute of Chartered Accountants of India

4.	वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधनों (प्रभावी 26.5.2017)	निम्नलिखित संशोधनों को कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध अधिनियम, 1952 में लाया जा चुका है : (1) धारा 2 में, वाक्यांश (m) के लिये, निम्नलिखित वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जायेगा, मुख्यतः (m) "ट्रिब्यूनल" से आशय धारा 7D में सन्दर्भित औद्योगिक ट्रिब्यूनल से है; (2) धारा 7D के लिये, निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित किया जायेगा, मुख्यतः "7D औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7A की उप–धारा (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा गठित औद्योगिक ट्रिबयूनल, वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय VI के भाग XIV के आरम्भ से तथा पर, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये ट्रिब्यनूल तथा ऐसा ट्रिब्यूनल इस अधिनियम के तहत या द्वारा इसे प्रदत्त अधिकारों, शक्तियों तथा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा।	पेज सं. 4.19	(1) "ट्रिब्यूनल" से आशय धारा 7D के तहत गठित कर्मचारी भविष्य निधि अपीलेट ट्रिब्यूनल है (2) de|pkjh Hkfo"; fuf/k vihy\V fV‰;uy ¼/kkjk 7D½ % केन्द्र सरकार अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन कर सकता है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूप में जाना जाता है ऐसा ट्रिब्यूनल प्रदत्त कार्यों के निर्वहन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा प्रत्येक ऐसा

© The Institute of Chartered Accountants of India

				ट्रिब्यूनल का गठित अधिसूचना में निर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र में स्थित उपक्रम के सम्बन्ध में न्याय क्षेत्र होगा। एक ट्रिब्यूनल केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्ति के लिये केवल एक व्यक्ति ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी (बाद में पीठासीन अधिकारी के रूप में सन्दर्भ) के रूप में नियुक्ति के लिये योग्य नही होगा जब तक वह एक उच्च न्यायालय का जज; या एक जिला जज बनने के योग्य है या रह चुका है, या है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		(3) धारा 7E, 7F, 7 G तथा 7H को हटाया जायेगा।	पेज सं. 4.19	(3) अध्ययन सामग्री में केवल धारा संख्या 7E, 7F, 7G तथा 7H के उद्धरण बताता है।
		(4) धारा 18A के लिये, निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित होगा, मुख्यतः :– "18A धारा 7A में सन्दर्भित प्राधिकारी तथा प्रत्येक इन्स्पेक्टर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों के साथ लोक सेवक माना जायेगा।"	पेज सं. 4.33	(4) ihBk lhu vf/kdkjh rFkk vU; vf/kdkfj;ksa dk ykd lsod : i ¼/kkjk ¼**8A**½ ½ ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी इसके अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों, धारा 7A में सन्दर्भित प्राधिकारियों तथा प्रत्येक इन्स्पेक्टर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों के साथ लोक सेवक माना जायेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

Hkkx & II % iz'u rFkk mÙkj

iz'u

Hkkx & v % 0;kolkf;d fof/k;k

Hkkjrh; vuqcU/k vf/kfu;e] 1872

1. (अ) निम्नलिखित के लिये क्या कानूनी स्थिति है, निर्धारित करें :

(i) रवि, नलिन तथा अशोक ने संयुक्त रूप से अजय से रूपये 50,000 उधार लिये। Y ने A को सारी राशि का भुगतान कर दिया। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय कीजिए कि क्या :

(i) नलिन, रवि व अशोक से अंशदान की मांग कर सकता है।

(ii) रवि की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी दायी हैं।

(iii) अशोक के दिवालिया होने की स्थिति में नलिन सम्पत्तियों में से अंशदान की मांग कर सकता है।

(ii) श्री MP ने श्री ZX के साथ अपनी फैक्टरी में बने 5,000 थैले देने का अनुबन्ध किया। हड़ताल के कारण थैलों का निर्माण नहीं हो पाया। फलस्वरूप अखिलेश उपर्युक्त थैले शेखर को नहीं दे पाया। निर्णय दीजिए कि क्या अखिलेश भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने दायित्व से बच सकता है?

(ब)शम्भू ने नवीन द्वारा अमन को अगले 6 माह में दी जाने वाली राशि के लिए प्रतिभूति दी। उपर्युक्त राशि की अधिकतम सीमा रूपये 1 लाख है। दो माह पश्चात् शम्भू ने अपनी प्रत्याभूमि वापस ले ली। प्रत्याभूति वापस लेने की तिथि तक नवीन ने अमन को रूपये 20,000 की राशि उधार दे दी थी। उत्तर दीजिए :

(i) क्या शम्भू बाद में दिए जाने वाले ऋण के लिए अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा?

(ii) क्या शम्भू उत्तरदायी है यदि अमन नवीन को उधार दिए रूपये 20,000 का भुगतान नहीं करता है।

2.(अ) स्टार को, सन के द्वारा समय – समय पर मून को रूपये 5,000 तक की सब्जियां उधार आपूर्ति करने के लिए सतत प्रत्याभूति की। उसके बाद मून की स्थिति खराब हो गई तथा स्टार की जानकारी के बिना मून तथा सन ने अनुबन्ध किया कि सन, मून को सब्जियां नकद आपूर्ति करेगा तथा वह धन मून व सन के पुराने ऋण को वसूल करने में लगाया जाएगा।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों की परीक्षा करते हुए निर्णय कीजिए कि क्या स्टार, सन को दी गई प्रत्याभूति के लिए उत्तरदायी है?

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ब) श्री ने जगदीश की गाड़ी किराये पर ली तथा रूपये 500 किराये के देने के लिए सहमत हुआ। गाड़ी असुरक्षित थी, यद्यपि जगदीश को इसकी जानकारी नहीं थी। श्री घायल हो गयी तथा लगी हुई चोट के लिए हर्जाने की मांग की। जगदीश देने से मना करता है। जगदीश के दायित्व का विवेचन कीजिए।

ijØkE; foy[k vf/kfu;e] 1881

3. A एक विपत्र B पर जारी करता है B उस विपत्र को बिना किसी प्रतिफल के स्वीकार करता है और वह विपत्र बिना किसी प्रतिफल के C को हस्तांतरित कर दिया जाता है। C उस विपत्र पर लिखे हुए मूल्य पर D को हस्तांतरित कर देता है निर्णय कीजिए :

(i) क्या D उस विपत्र की पूर्ववर्ती पार्टियों पर दावा कर सकता है?

(ii) क्या D से पूर्व के पक्षों को यह अधिकार है कि वह किसी पर दावा कर सकें?

अपना उत्तर परक्राम्तय विलेख अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के संदर्भ में देवें।

4. (अ) दायित्व रहित अनुमोदन क्या होता है? एक विपत्र को एक्स या उसके आदेशानुसार भुगतान योग्य बताकर जारी किया गया। एक्स वाई को, वाई जेड को, जेड़ अ को, अ ब को तथा ब एक्स के नाम अनुमोदित कर देता है। कारण सहित कथन कीजिए क्या एक्स उस विपत्र की राशि वाई, जेड़, अ तथा ब से वसूल कर सकता है, यदि उसने प्रथम बार वह विपत्र वाई के नाम अनुमोदित यह शब्द लिखकर किया था कि "दायित्व रहित अनुमोदन"।

(ब) एक बैंक ऐसे चैक का भुगतान कर देता है जिस पर आहर्ता के हस्ताक्षर जाली थे। क्या बैंक ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? क्या सुरक्षा उपलब्ध होगी यदि उस पर अनुमोदक के हस्ताक्षर भी जाली थे?

ckuk Hkqxrku vf/kfu;e] 1965

5. A अर्थ लि. का कर्मचारी था। वह कम्पनी से 31 मार्च 2017 को सेवा निवृत्त हो गया और कुछ माह के उपरान्त उसकी मृत्यु हो गयी, Y जो कि A का उत्तराधिकारी है ने निर्धारित समय के भीतर कम्पनी को A को देय बोनस के भुगतान के लिए आवेदन कर दिया। कम्पनी ने बोनस देने से इंकार कर दिया। कम्पनी के इंकार करने की वैधता की जाँच करो और बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत बोनस को वसूल करने की पद्धति का कथन करो।

6. वर्ष 2009 में टेली कॉरपोरेशन जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है और राजस्थान सरकार के साइन्स एवं टैक्नॉलोजी विभाग अधीन है उसके द्वारा निर्मित मोबाइल सैट बेचना आरम्भ कर देता है टी. वी. सैट के अतिरिक्त जो कि वह पहले से बेच रहा है ताकि वह बाजार में मोबाईल सैट के निजी के साथ

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रतिस्पर्धा कर सके। मोबाइल सैट की बिक्री से कॉरपोरेशन को 30 प्रतिशत का सकल लाभ हुआ। उस कॉरपोरेशन के कर्मचारी बोनस को लेने की माँग करते हुए हड़ताल पर चले गये।

निर्णय कीजिए कि क्या कर्मचारियों को बोनस की माँग बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत मान्य योग्य है। क्या आप का उत्तर भिन्न होग यदि मोबाइल की बिक्री से कॉरपोरेशन की सकल आय का केवल 10 प्रतिशत होता है।

de|pkjh Hkfo"; fuf/k rFkk fofo/k i|ko/kku vf/kfu;e] 1952

7. श्री अविनाश, एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत एक प्रतिष्ठान में कार्यरत था, जिसने कार्य छोड़ दिया तथा अन्य प्रतिष्ठान में कार्य आरम्भ कर दिया। इस सम्बन्ध में बताइये :

(i) उसके भविष्य निधि खाते में जमा धन किस प्रकार से हस्तान्तरित होगा?

(ii) उस दशा में क्या कदम उठाने आवश्यक है यदि नये प्रतिष्ठान जिसमें नौकरी करता है उस पर अधिनियम लागू नही होता?

(iii) आपका उत्तर क्या होगा उस दशा में जब पुराने प्रतिष्ठान पर, जिसमें वह कार्य कर रहा था, अधिनियम लागू नही होता था?

8. सतिन्द्र PQR लिमिटेड की सेवा से 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्त हुआ। उसके भविष्य निधि खाते में रूपये 5 लाख की राशि थी। यह 30 अप्रेल 2016 को सतीन्दर को भुगतान के लिये देय हुई लेकिन कम्पनी ने इस राशि को भुगतान एक वर्ष के बाद किया। सतिन्दर ने एक वर्ष के लिये 15 प्रतिशत की दर से देय राशि पर ब्याज के भुगतान के लिये दावा किया। निर्णय कीजिये, सतिन्दर का दावा कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान क्या अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत मान्य है?

mi|nku Hk|xrku vf/kfu;e] 1972

9. श्री नरेश LMO लि. का कार्मिक था वह 30 वर्ष की सेवा के बाद कम्पनी से सेवानिवृत्त हुआ। उसने कम्पनी को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्दिष्ट समय अवधि में आवेदन किया। कम्पनी ने तंग आर्थिक स्थिति के कारण ग्रेच्युटी देने में असमर्थता प्रकट की, श्री नरेश ने उचित प्राधिकरण को ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। कम्पनी द्वारा दी गई दलील की वैधता की जाँच कीजिए तथा ग्रेच्युटी को वसूल करने सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

कम्पनी के तर्क की वैधता का निर्धारण करें तथा उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत उपादान की वसूली के लिये कानून के प्रावधान भी बताइये।

10. श्री कार्तिक अक्षरा लिमिटेड, एक मौसमी प्रतिष्ठान में कार्यरत है। फैक्ट्री में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 1 मार्च से 30 जून तक चालू रहा। यद्यपि, श्री कार्तिक इस अवधि के दौरान लगातार सेवा में

© The Institute of Chartered Accountants of India

नहीं था, वह 95 दिनों के लिये कार्यरत था। उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के सन्दर्भ में निर्णय दीजिए कि क्या श्री कार्तिक उपादान का हकदार है?

dEiuh vf/kfu;e] 2013

11.एक्सेपसनल बिल्डर्स लिमिटेड ऋणपत्रों की कीमत का 2.5 % अभिगोपन कमीशन अभिगोपक को देगा परन्तु कम्पनी के अन्तर्नियम ऋणपत्रों पर 2% अभिगोपन कमीशन की इजाजत देते हैं। कम्पनी ने यह तय किया है कि अभिगोपन कमीशन फ्लैट के रूप में देंगे। कम्पनी अधिनियम, 2013 के सन्दर्भ में ऊपर बतायी गयी व्यवस्था की वैधता बताइए।

12.(अ) अमित लिमिटेड की एक साधारण सभा में, सभापति ने आदेश दिया कि कुछ विषय जो कि कम्पनी के हितों के विरूद्ध है को मिनट्स में से निकाल दिए। मनोज, एक अंशधारक ने तर्क दिया कि मिनट्स में निष्पक्ष तथा सही संक्षेप सार मीटिंग में हुई कार्यवाही के रूप में दिया जाना चाहिए। निर्णय कीजिए कि क्या मनोज का तर्क कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप मान्य है?

(ब) मिशा इंडिया लिमिटेड से सुनील के 1000 रूपये बकाया है। इस बकाया के देय होने पर, कम्पनी ने बकाया के पूर्ण निपटाने में 100 रूपये प्रति के 10 अंशों का सुनील को प्रस्ताव किया। ऐसे अंश पूर्ण प्रदत्त थे तथा सुनील को आवंटित थे। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के सन्दर्भ में इस आवंटन की वैधता की जाँच करे।

13. सरस प्राइवेट लिमिटेड की प्रदत्त अंश पूँजी रूपये 1 करोड़ में है जिसमें रूपये 10 प्रति के पूर्ण प्रदत्त 8 लाख समता अंश तथा रूपये 10 प्रति के पूर्ण प्रदत्त 2 लाख संचयी पूर्वाधिकार अंश है। जीवन प्राइवेट लिमिटेड तथा सुधीर प्राइवेट लिमिटेड सरस प्राइवेट लिमिटेड सरस प्राइवेट लिमिटेड में क्रमशः 3 लाख समता अंश तथा 50000 समता अंश धारित है। जीवन प्राइवेट लिमिटेड तथा सुधीर प्राइवेट लिमिटेड पीयूष (PQR) प्राइवेट लिमिटेड की सहायक है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के सन्दर्भ के साथ निर्धारित करें क्या सरस प्राइवेट लिमिटेड पीयूष प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक है? क्या आपका उत्तर अलग होगा यदि पीयूष प्राइवेट लिमिटेड के सरस प्राइवेट लिमिटेड के मंडल में 9 निदेशकों में से 8 है?

14. जेनब लिमिटेड ने वार्षिक साधारण सभा 15 सितम्बर, 2016 को आयोजित की। वार्षिक साधारण सभा की अध्यक्षता श्री वेन्कट ने की जो कि निदेशक मण्डल के अध्यक्ष हैं। श्री वेन्कट जो कि अध्यक्ष हैं, उन्हें 17 सितम्बर, 2016 को भारत छोड़ना पड़ा। श्री वेन्कट ने मीटिंग के सूक्ष्म पर हस्ताक्षर भी नहीं किए। श्री वेन्कट को अपने पिताजी जो कि लन्दन में बीमार हैं उन्हें देखने के लिए भारत छोड़ना पड़ा। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के सन्दर्भ में बताइए मीटिंग के सूक्ष्म श्री वेन्कट की अनुपस्थिति में कौन हस्ताक्षर करेगा एवं विधि बताइए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

15. जोरब लिमिटेड ने अपने सदस्यों को साधारण सभा की सूचना भेजी। सूचना में यह लिखा था कि इस सभा में कम्पनी की अंश पूँजी में वृद्धि करने के लिए संकल्प पारित करने पर विचार–विमर्श किया जाएगा। एक अंशधारी ने शिकायत की कि अंश पूँजी में प्रस्तावित वृद्धि की राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। क्या सूचना वैध है?

Hkkx & c % uhfr'kkL=

16. बताइए कि किस प्रकार से एक कम्पनी में सुरक्षित नीतिगत पर्यावरण उत्पन्न किया जा सकता है तथा धोखाधड़ी को रोका जा सकता है?

17. "अम्लीय वर्षा" शब्द द्वारा आप क्या समझते है? कैसे यह पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभावित करते है?

18. विपणन में विपणन कार्यपालकों द्वारा नीतिपूर्ण व्यवहार बनाये रखने का क्या कारण है?

19. निगमित प्रशासन के संचालन में विभिन्न समितियों की भूमिका बताइए।

20. उन तत्वों का कथन कीजिए जिनसे किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में नियुक्ति के समय किया जाता है।

Hkkx & l % lEi"k.k

21.क्षतिपूर्ति बन्धक क्या होता है। क्षतिपूर्ति बन्धक का प्रारूप बनाइए।

22. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) समाचार विज्ञप्ति के लिए मार्गदर्शन;

(ब) समाचार वक्तव्य।

23.एक संस्था के नवप्रवर्तन ढाँचे में सम्मिलित प्रमुख तत्व बताइये?

24. आप नीतिपरक संचार से क्या समझते हैं? इसके तत्व क्या होते हैं?

25.संवेगात्मक कुशाग्रता से जुड़ी हुई व्यक्तिगत दक्षताओं का विवेचन कीजिए।

l>k;d mÙkj @ ldsr

1-¼v½-¼i½ भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 42 के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त वचन दिया हो तो अनुबन्ध से विपरीत आशय प्रकट न होने पर, वचनदाताओं को संयुक्त रूप से अनुबन्ध का निष्पादन करना चाहिए। उनमें से किसी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी, जीवित वचनदाताओं के साथ संयुक्त रूप से अनुबन्ध का निष्पादन करेंगे। सभी वचनदाताओं की मृत्यु होने की दशा में उन सभी के उत्तराधिकारी मिलकर अनुबन्ध का निष्पादन करेंगे।

धारा 43 के अनुसार वचनगहीता किसी भी संयुक्त वचनदाता से अनुबन्ध का निष्पादन करा सकता है। इस प्रकार से संयुक्त वचनदाता का दायित्व केवल संयुक्त ही नहीं, बल्कि संयुक्त एवं पृथक् भी होता है। धारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

43 के अनुसार अनुबन्ध से विपरीत आशय प्रकट न होने पर वचनग्रहीता इनमें से किसी एक अथवा अधिक संयुक्त वचनदाताओं को निष्पादन करने के लिए बाध्य कर सकता है।

धारा 43 संयुक्त वचनदाताओं की दशा में अंशदान के विषय में वर्णन करती है। वचनग्रहीता प्रत्येक वचनदाता को बराबर का अंशदान करने के लिए बाध्य कर सकते हैं (जब तक कि अनुबन्ध से इसका विपरीत आशय प्रकट न होता हो) यदि कोई भी संयुक्त वचनदाता अपना अंशदान देने में असमर्थ है तो बाकी के संयुक्त वचनदाता इस कमी को बराबर–बराबर अनुपात में पूरा करेंगे।

उपर्युक्त धाराओं के प्रावधानों के अनुसार :

(i) नलिन, रवि, व अशोक से अंशदान मांग सकता है, क्योंकि नलिन, रवि, व अशोक संयुक्त वचनदाता हैं।

(ii) रवि, के उत्तराधिकारी नलिन को अंशदान देने के लिए दायी हैं, लेकिन एक उत्तराधिकारी का दायित्व उसे उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति तक सीमित है।

(iii) नलिन भी अशोक की सम्पत्ति में से अंशदान प्राप्त कर सकता है।

¼**ii**½ भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 56 के अनुसार जब अनुबन्ध का निष्पादन, उसके निर्माण के पश्चात्, असम्भव अथवा अवैधानिक हो जाए तो अनुबन्ध शून्य हो जाता है, तो इसे आकस्मिक असम्भावना (यानि असम्भवना जो अनुबन्ध करने के समय नहीं थी, लेकिन बाद में हुई)।

लेकिन निष्पादन की असम्भावना, एक नियम के रूप में, निष्पादन न करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि जब एक व्यक्ति ने एक अनुबन्ध का निष्पादन करने का वचन दिया है तो उसे अनुबन्ध का निष्पादन अवश्य करना चाहिए जब तक कि अनुबन्ध का निष्पादन वास्तव में असम्भव न हो जाए। एक अनुबन्ध वास्तव में असम्भव हो गया है अथवा नहीं प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। अनुबन्ध का निष्पादन हड़ताल, तालाबन्दी, झगड़ा–फसाद आदि के कारण पूर्ण या वास्तविक रूप से असम्भव नहीं माना जाता तथा ऐसी दशा में अनुबन्ध समाप्त नहीं होता जब तक कि पक्ष इसके विपरीत सहमत न हो (बजट बनाम बैनिंगटनः जैकब्स बनाम क्राइट लाईओनाइस)।

प्रश्न में पूछे गये मामले में अखिलेश फैक्टरी में हड़ताल के कारण थैलों की सुपुर्दगी नहीं दे पाया। यहाँ निष्पादन की कठिनाई को आकस्मिक असम्भावना नहीं माना जा सकता जिस पर भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 56 लागू हो सके, अतः MP, श्री ZX के प्रति अनुबन्ध का निष्पादन न करने के लिए उत्तरदायी है।

¼**C**½ भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 130 के अनुसार विशिष्ट प्रत्याभूति की दशा में प्रतिभू द्वारा दायित्व आरम्भ होने के पश्चात् अपनी प्रत्याभूति का खण्डन नहीं किया जा सकता। एक सतत प्रत्याभूति

© The Institute of Chartered Accountants of India

किसी भी समय सूचना देकर भविष्य में होने वाले व्यवहारों के सम्बन्ध में रद्द की जा सकती है, लेकिन वह प्रत्याभूति रद्द करने से पहले के व्यवहारों के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

(i) रवि बाद में दिए गए सभी ऋणों के दायित्व से मुक्त हो गया क्योंकि यह सतत प्रतिभूति का अनुबन्ध हैं

(ii) रवि, नलिन को दिए गए रूपये 20,000 के लिए दायी है क्योंकि यह ऋण प्रत्याभूति वापस लेने से पहले ही दिया जा चुका था।

2-¼V½ पूछी गई समस्या भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 133 पर आधारित है। इस धारा में यह व्यवस्था है कि मुख्य ऋणीतथा ऋणदाता के बीच हुए अनुबन्ध में यदि प्रतिभू की सहमति के बिना कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाए तो प्रतिभू परिवर्तन के व्यवहारों के लिए अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। दी गई समस्या में सभी उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा किया है। इसलिये, स्टार इस नये समझोते के बाद सब्जियों की आपूर्ति के लिये उसकी गारन्टी के लिये दायी नही है। ऐसी विमुक्ति के लिये कारण है कि प्रतिभू एक अनुबन्ध के लिये दायी सहमत है जो यहाँ नही है तथा वह परिवर्तित अनुबन्ध के लिये दायीं नही है क्योंकि यह उसके द्वारा किये अनुबन्ध से अलग है।

¼C½ प्रश्न में पूछी गई समस्या भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 कि धारा 150 पर आधारित है। इसके अनुसार यदि निक्षेप किराये पर है तो निक्षेपक ज्ञात अथवा अज्ञात, दोनों प्रकार के दोषों के लिए उत्तरदायी है।

अतः उपर्युक्त प्रावधानों को दिये गये प्रश्न में लागू करने से जगदीश श्री को चोट लगने के कारण हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए दायी है यदि उसे गाड़ी में कमी की जानकारी नही थी।

3- परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 43 में किए गए प्रावधान के अनुसार जो परक्राम्य विलेख बिना किसी प्रतिफल के जारी किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं, अनुमोदित किए जाते हैं या हस्तांतरित किए जाते हैं या ऐसे किसी प्रतिफल के आधार पर जारी किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कोई दायित्व किसी भुगतान करने के लिए बनता है या अन्य पक्षों के लिए ऐसा व्यवहार कोई बाध्यता स्थापित नहीं करता है बनाया जा सकता है, परन्तु यदि कोई पक्ष, जो उस विलेख का पक्ष है उस विलेख को किसी अन्य पक्ष को अनुमोदित करके या बिना किसी अनुमोदन के भी प्रतिफल लेकर किसी धारक को हस्तांतरित कर देता है, तो वह धारक या उसके उपरान्त के सभी धारक, जिन्होंने वह अधिकार मूल धारक से ग्रहीत किया है वह सभी धारक उस विलेख के धारक से जिसने वह विलेख हस्तांतरित किया है या उससे पूर्ववर्ती पक्षों से उस विलेख में दी गई धनराशि वसूल कर सकता है।

(i) इस प्रश्न में पूछा गया समाधान निम्न रूप में है। A ने विपत्र B पर जारी किया है और B ने उस विपत्र को बिना किसी प्रतिफल पर स्वीकार किया है और B ने उस विपत्र C को

© The Institute of Chartered Accountants of India

बिना किसी प्रतिफल या हस्तांतरित कर दिया है बाद में अंतिम हस्तांतरण C द्वारा D को उस विपत्र के मूल्य पर किया है। उपरोक्त धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार अंत में वह विपत्र D को प्रतिफल के आधार पर हस्तांतरित किया गया हैं इसलिए D जो उस विपत्र का प्रतिफल के आधार पर धारक है और उसका अधिक 72 अंतिम और पक्ष है इसलिए D किसी भी पक्ष A, B या C पर वसूली का दावा कर सकता है।

(ii) उदाहरण के दूसरे भाग की समस्या का उत्तर निम्न है – D से पूर्ववर्ती पक्ष A, B और C की धारा 43 के अनुसार कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी प्रकार की या किसी पक्ष के विरूद्ध कोई चारा कोई करे, क्योंकि जो विपत्र बिना किसी प्रतिफल या दायित्व के आधार पर बनाया जाता है। स्वीकार किया जाता है या अनुमोदित किया जाता है या हस्तांतरित किया जाता है या ऐसे किसी प्रतिफल के आधार पर बनाया जाता है जो कि असफल हो गया है उसके परिणामस्वरूप कोई देयता या दायित्व स्थापित नहीं होता है यह दायित्व तब स्थापित होता है, जब कोई प्रतिफल हो बिना प्रतिफल कोई अधिकार स्थापित नहीं होता है, केवल उस धारक को यह अधिकार मिलता है, जिसने प्रतिफल के आधार पर वह विपत्र प्राप्त किया हो।

4-¼v½ nkf;Ro jfgr vuekknu dk vFk% यह परक्राम्य विलेख का ऐसा अनुमोदन है, जिसमें अनुमोदन करने वाली अपने आपको सारे दायित्वों से मुक्त कर लेता है या कोई भी देयता देने से मना कर सकता है, जो कि उस विलेख के कारण किसी अगले पक्ष द्वारा की जाती है। अनुमोदक यह शब्द लिखकर "दायित्व रहित अनुमोदन" अपने हस्ताक्षर कर देता है।

समस्या में, एक्स अनुमोदक स्वयं धारक बन जाता है जब वह विपत्र बहुत से पक्षों से गुजर कर उसके पास आ जाता है। सामान्यतः ऐसे मामलों में, कोई भी मध्य वाला पक्ष एक्स के प्रति देनदार नही है। यह "घुमावदार प्रक्रिया" को रोकना है। लेकिन इस मामले में एक्स का वास्तविक अनुमोदन 'दायित्व रहित' है तथा इसलिये, वह वाई, जेड़ अ तथा ब के लिये दायी नहीं है। लेकिन यदि बिल परक्राम्य से एक्स के पास वापस आता है, सभी उसके लिये दायी है तथा वह सभी से या उनमें से किसी से राशि वूसल कर सकता है।

¼C½ चैक के मामले में भुगतान करने वाले बैंकों की वैधानिक सुरक्षा प्रदान है यदि वह बैंक किसी ऐसे चैक का भुगतान करते हैं, जिस पर अनुमोदन कपटपूर्ण है और बैंक को ऐसे भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है यदि वह बैंक निश्छल विश्वास के आधार पर और बिना किसी लापरवाही के उस चैक का भुगतान करता है (परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 85) पर उपरोक्त सुरक्षा ऐसी अवस्था में प्राप्त नहीं होगी, लेकिन बैंक को सुरक्षा नही होगी जहाँ चैक का भुगतान आहार्त्ता के हस्ताक्षर जाली थे

© The Institute of Chartered Accountants of India

पर किया गया है। इसके लिये कारण है कि जब चैक पर किए गए हस्ताक्षर जाली हो तथा कपटपूर्ण हो ऐसा इसलिए हे कि बैंक को प्राप्त सुरक्षा केवल अनुमोदक के जाली हस्ताक्षर के लिए है न कि चैक जारीकर्ता के जाली हस्ताक्षरी के लिए।

5- धारा 19 के अनुसार नियोक्ता को लेखा वर्ष की समाप्ति के आठ माह के भीतर बोनस का भुगतान करना होगा।

वर्तमान मामले में, बोनस 30 नवम्बर 2017 को देय होगा।

इसलिये, कम्पनी का बोनस भुगतान के लिये मना करना अधिनियम के अन्तर्गत वैध नही है।

बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 21 में श्री अ के उत्तराधिकारी वाई को उपलब्ध उपाय बताया है जो कर्मचारी, उसके समुनेदशिती या उसके उत्तराधिकारी बोनस देय होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर उपयुक्त सरकार को राशि की वसूली के लिये एक आवेदन कर सकता है कि राशि देय है, वह उस राशि के लिये कलेक्टर जो बकाया भूमि राजस्व की तरह उसी तरीके में उसे वसूल करने की कार्यवाही करना को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

6- साधारणतः बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 20(2) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता है लेकिन बोनस भुगतान अधिनियम, 1956 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी लेखा वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठान जो भी वस्तु जो उसके द्वारा उत्पादित है या निर्मित है या कोई सेवाएँ प्रदान करता है जो कि किसी निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान की प्रतिस्पर्धा में है, और यदि इस प्रकार से की गई बिक्री या सेवाओं से या इन दोनों से 20% से उसकी सकल आय से कम नहीं है तो उस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान पर बोनस अधिनियम, 1956 लागू होगा जो कि निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं।

धारा 20 (2) के अर्थों में, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर लागू नही होते है, सिवाय धारा 1 की उपधारा 1 के तहत बताये रूप में है।

इसलिये, दी गई स्थिति में जब मोबाईल सेट के विक्रय से आय कॉरपोरेशन की सकल आय का 30% (अर्थात् 20% से ज्यादा है), कर्मचारी की माँग मान्य है।

हालाँकि, दूसरे मामले में, मोबाईल सेट के विक्रय से आय कॉरपोरेशन की सकल आय का 10% (अर्थात् 20% से कम) है, कर्मचारियों की माँग मान्य योग्य नही है।

7- fu;ktu d cnyu d dkj.k Hkfo"; fuf/k e tek /ku dk gLrkUrj.k

धारा 17A (1) प्रदान करता है कि किसी कर्मचारी के नौकरी छोड़ने, अन्य प्रतिष्ठान में नयी नौकरी करने की स्थिति में लेखों के हस्तान्तरण का प्रावधान करती है। यह दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों से संव्यवहार करती है जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और उस पर भी जिस पर अधिनियम लागू नहीं होता। खाते का

© The Institute of Chartered Accountants of India

हस्तान्तरण कराना कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है। किसी प्रतिष्ठान का कर्मचारी जहाँ पर अधिनियम लागू होता है, नौकरी छोड़ता है और किसी ऐसे अन्य प्रतिष्ठान में नौकरी प्राप्त कर लेता है, जिस पर अधिनियम लागू नहीं होता है, वहाँ उसके द्वारा छोड़े गये प्रतिष्ठान की यथास्थिति, निधि में या भविष्य निधि में ऐसे कर्मचारी के नाम जमा धनराशि उस प्रतिष्ठान को जिसमें वह नयी नौकरी पाता है, भविष्य निधि में उसके खाते में उतने समय के भीतर जितना केन्द्रीय सरकार इसके लिए निर्दिष्ट करे, हस्तान्तरित कर दी जायेगी। कर्मचारी के खाते का हस्तान्तरण कर्मचारी की इच्छा पर सम्भव है और उस भविष्य निधि से सम्बन्धित नियम ऐसे हस्तान्तरण की अनुमति दें।

उसी प्रकार, उप–धारा (2) के अनुसार, यदि किसी ऐसे प्रतिष्ठान का कर्मचारी, जिसमें यह अधिनियम लागू नहीं होता है उससे अपनी नौकरी छोड़कर ऐसे प्रतिष्ठान में नयी नौकरी पाता है, जिस पर यह नियम लागू होता है तो उसके द्वारा छोड़े गये प्रतिष्ठान की भविष्य निधि में उसकी जमा धनराशि, उसके नये प्रतिष्ठान की भविष्य निधि में उसके खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। परन्तु ऐसा हस्तान्तरण कर्मचारी की इच्छा पर किया जायेगा तथा भविष्य निधि से सम्बन्धित नियम ऐसे हस्तान्तरण की अनुमति दें।

8- कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 7Q के अनुसार नियोक्ता 12% वार्षिक की दर से या योजना में अन्य ऊँची निर्दिष्ट ब्याज की दर से इस अधिनियम के तहत उस से भुगतान देय होने से भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ भुगतान के लिए दायी है।

बशर्ते कि योजना में निर्दिष्ट ऊँची ब्याज की दर अनुसूचित बैंक द्वारा ऋण पर ली जाने वाली ब्याज की दर से अधिक नहीं होगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, सतिन्दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष या योजना में निर्दिष्ट दर, जो भी अधिक हो, कि दर से एक वर्ष के लिये देय राशि पर ब्याज का भुगतान के लिये दावा कर सकता है। यहाँ, निर्दिष्ट दर की अनुपस्थिति में, सतिन्दर देय रशि पर ब्याज केवल 12 प्रतिशत प्रति वर्ष का दावा कर सकता है। इसलिये, 15% की ब्याज दर के लिये सतिन्दर का दावा मान्य योग्य नही है।

9-¼1½ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(1) के अनुसार एक कार्मिक को ग्रेच्युटी 5 वर्ष की लगातार सेवा के बाद अधिवर्षिता, सेवा–निवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, निशक्तता पर देय होगी। अतिरिक्त, धारा 7(2) प्रदान करता है कि जब ग्रेच्युटी देय हो जाये तो नियोजक चाहे कार्मिक ने ग्रेच्युटी की मांग की हो अथवा न की हो, ग्रेच्युटी की राशि निर्धारित करेगा तथा कार्मिक को सूचित करेगा, साथ में उसकी प्रतिलिपि नियन्त्रण अधिकारी को भेजेगा।

नियोजक ग्रेच्युटी की राशि के भुगतान की व्यवस्था ग्रेच्युटी देय होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर करेगा [धारा 7(3)] यदि भुगतान विनिर्दिष्ट अवधि में न किया जाए तो उस पर साधारण ब्याज भी देय होगा इस

© The Institute of Chartered Accountants of India

दशा को छोड़कर जहाँ भुगतान में देरी कार्मिक की गलती के कारण हुई है तथा नियोजक ने नियन्त्रण अधिकारी से इसके लिए इजाजत ले ली हो। [धारा 7(3A)]

(2)यदि नियोजक निर्धारित समय से ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करता है तो नियन्त्रण अधिकारी कलेक्टर को देय राशि का प्रमाण – पत्र जारी करेगा कि वह उक्त राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, भूमि के बकाया लगान की तरह वसूल करे जिससे वह कार्मिक इसे प्राप्त कर सके जिसने इसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र दिया था। [धारा 8]

नियन्त्रण अधिकारी ऐसा प्रमाण– पत्र जारी करने से पहले नियोजक को ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के विरूद्ध कारण बताने का उचित अवसर प्रदान करेगा। ब्याज की राशि किसी भी दशा में अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि से अधिक नहीं होगी। (धारा 8)

दिये मामले में, तथ्य उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 7 तथा 8 के तहत बताये कानून के प्रावधानों के अनुरूप है। इसलिये, श्री नरेश उपादान की वूसली का हकदार है क्योंकि वह 30 वर्षों की निरन्तर सेवा कर चुका है। कम्पनी आर्थिक तंग दशा की आड़ में श्री नरेश को ग्रेच्युटी का भुगतान करने से मना नहीं कर सकती है। कम्पनी द्वारा मना करने पर, श्री नरेश समुचित अधिकारी को आवेदन कर सकता है तथा कम्पनी उस अधिकारी द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिये दायी होगें।

10- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 2A की उपधारा 3 के अनुसार जहां कोई कार्मिक, जो मौसमी प्रतिष्ठान में नियुक्त हो, खण्ड (1) के अर्थ की परिधि में जो लगातार सेवा में न हो किसी 1 वर्ष या 6 माह की अवधि के लिए उसे नियोक्ता के अन्तर्गत सेवा में माना जाएगा बशर्ते कि उसने वास्तव में 75% दिनों में कम कार्य न किया हो जिस अवधि में संस्था कार्य कर रही थी।

दी गई समस्या में, श्री कार्तिक ने अक्षरा लिमिटेड में 95 दिनों के लिये कार्य किया, तथा उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, श्री कार्तिक ने दिनों की संख्या के 75% से ज्यादा कार्य किया है जो प्रतिष्ठान कार्य कर रहा था अर्थात् 120 दिनों का 75% (1 मार्च से 30 जून) = 90 दिनों है। इसलिये, कार्तिक ग्रेच्युटी के लिये हकदार होगा।

11- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 40(6) के अनुसार कम्पनी अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान अथवा अभिदान की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति को कमीशन चाहे सशर्त अथवा बिना शर्त एवं जो शर्त कम्पनीज (प्रविवरण एवं प्रतिभूतियों का आबंटन) 2014 में बतायी गयी है उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे कमीशन का भुगतान कर सकती है। ऊपर दिए गए केस के सन्दर्भ में जो शर्ते ऊपर दिए गए प्रावधान में लागू होती है वह इस प्रकार है :

(अ) कम्पनी के अन्तर्नियमों में ऐसे कमीशन का भुगतान अधिकृत होना चाहिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ब) कमीशन का भुगतान निर्गमन राशि अथवा लाभों से अथवा दोनों से किया जा सकता है।

(स) चुकता एवं सहमत कमीशन की अधिकतम दर अंशों के सम्बन्ध में – निर्गमन मूल्य का 5% अथवा अन्तर्नियमों में निर्धारित दर जो भी कम हो। ऋणपत्रों के सम्बन्ध में निर्गमन मूल्य का 2.5% अथवा कम्पनी के अन्तर्नियमों में निर्धारित दर जो भी कम हो इस प्रकार अभिगोपन कमीशन अंशों के सम्बन्ध में निर्गमन मूल्य का 5% और ऋणपत्रों के सम्बन्ध में निर्गमन मूल्य का 2.5% तक सीमित होता है, ऊपर दी गयी कमीशन की दर अधिकतम है।

ऊपर दिए गए प्रावधानों को देखते हुए .एक्सेपसनल बिल्डर लिमिटेड का 2% से अधिक अभिगोपन कमीशन जो कि कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुसार है, वैध नहीं है।

कम्पनी अभिगोपन कमीशन फ्लैट के रूप में दे सकती है, कम्पनी अधिनियम एवं नियम दोनों ही भुगतान के तरीके पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाते हैं, हालांकि कमीशन का भुगतान निर्गमन राशि अथवा लाभों से ही किया जा सकता है।

12 ¼V½ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 118(5) के अनुसार ऐसे किसी मामले को सूक्षम में शामिल नहीं किया जाएगा।

(i) ऐसा है या हो सकता है कि वह विषय किसी व्यक्ति विशेष के लिए बदनामी करने जैसा हो।

(ii) वह विषय कार्यवाही से असंगत तथा तुच्छ है।

(iii) वह विषय कम्पनी के हितों के विपरीत है।

अतिरिक्त, धारा 118(6) के अनुसार उपधारा (5) में वर्णित किसी मामले के सम्बन्ध में सूक्ष्म में किसी विषय/विवरण के शामिल करने अथवा नहीं करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय एकमात्र एवं अन्तिम होगा।

इसलिए, उपर्युक्त की दशा में मनोज, अमित लिमिटेड का एक अंशधारक का तर्क वैध नही है क्योंकि किसी विषय को मिनट्स में डालना या न डालना चैयरमेन के विवेक पर ही होता है।

¼C½ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 (1) (स) के अन्तर्गत जहाँ किसी समय पर, एक कम्पनी जिसकी अंश पूँजी है अपनी अभियाचित पूँजी अतिरिक्त अंशों के निर्गमन द्वारा वृद्धि के लिये प्रस्तावित है, चाहे नकद के लिये, या नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिये, ऐसे अंशों का किसी व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जा सकता है, यदि यह एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत है तथा यदि ऐसे अंशों का मूल्य ऐसी निर्दिष्ट शर्तों के अधीन एक पंजीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्धारित है।

वर्तमान मामले में, मिशा इंडिया लिमिटेड अपने बकाया के निपटान में सुनील को अंशों के आंबटन के लिये अधिकृत है। निर्गमन को नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिये निर्गमन के रूप में वर्गीकृत होगा तथा ऐसा

© The Institute of Chartered Accountants of India

एक विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। अतिरिक्त, अंशों का मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किया जाना चाहिये।

13- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) "सहायक कम्पनी" को ऐसी अन्य कम्पनी के रूप में परिभाषित करती है (अर्थात् सूत्रधारी कम्पनी), जिसमें सूत्रधारी कम्पनी –

(i) संचालक मण्डल के गठन पर नियंत्रण रखती है; अथवा

(ii) कुल अंश पूंजी के, आधे भाग से अधिक भाग पर स्वयं स्वामित्व पूंजी के रूप में अथवा एक अथवा अनेक सहायक कम्पनियों के साथ, नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है;

बशर्ते कि सूत्रधारी कम्पनियों के ऐसे वर्ग अथवा वर्गों के सहायक कम्पनियों में निश्चित। निर्धारित स्तरों से अधिक संख्या नहीं होगी।

स्पश्टीकरण – इस धारा के उद्देश्य के लिये –

(i) एक कम्पनी किसी सूत्रधारी कम्पनी की सहायक कम्पनी मानी जायेगी भले ही उपवाक्य (i) अथवा उपवाक्य (ii) में संदर्भित, नियंत्रण सूत्रधारी कम्पनी की किसी अन्य सहायक कम्पनी के पास हो;

(ii) कम्पनी के संचालक मण्डल का गठन किसी अन्य कम्पनी द्वारा माना जायेगा यदि ऐसी अन्य कम्पनी उसके द्वारा लागू होने योग्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी अथवा बहुमत संचालकों की नियुक्ति अथवा पदच्युत कर सकती है;

वर्तमान मामले में, जीवन प्राइवेट लिमिटेड तथा सुधीर प्राइवेट लिमिटेड कुल अंश पूँजी का आधे से कम साथ में धारित है। इसलिये, पीयूष प्राइवेट लिमिटेड (जीवन प्राइवेट लिमिटेड तथा सुधीर प्राइवेट की नियंत्रक) सरस प्राइवेट लिमिटेड की एक नियंत्रक कम्पनी नही होगी।

हालाँकि, यदि पीयूष प्राइवेट लिमिटेड के सरस प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में 9 निदेशकों में से 8 है अर्थात् निदेशकों के मंडल के गठन पर नियंत्रण है, यह (पीयूष प्राइवेट लिमिटेड) सरस प्राइवेट लिमिटेड की नियंत्रक कम्पनी के रूप में मानी जायेगी।

14- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी सदस्यों के किसी वर्ग की प्रत्येक सामान्य सभा, लेनदारों की सभा एवं पोस्टल बैलट द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव और अपने संचालक मण्डल और उसकी समितियों की प्रत्येक सभा का सूक्ष्म तैयार कराएगी और निर्धारित विधि में हस्ताक्षर कराकर ऐसी प्रत्येक सम्बन्धित सभा की समाप्ति के तीस दिन के अन्दर उसे रखेगी अथवा पोस्टल बैलट द्वारा पारित प्रस्ताव के पारित होने पर ऐसी पुस्तकों के रूप में रखेगी जो इस उद्देश्य के लिए हैं, जिन पर क्रमवार पृष्ठ संख्या डाली गयी है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कम्पनी रूल्स 2014 के रूल्स (नियम) 25 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 के अनुसार ऐसी पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होगा और सभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड का अन्तिम पृष्ठ अथवा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक रिपोर्ट पर तिथि सहित हस्ताक्षर होंगे। सामान्य सभा की कार्यवाहियों की सूक्ष्म के मामले में उसी सभा के अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त वर्णित तीन दिन की अवधि के अन्दर अथवा ऐसी अवधि के दौरान अध्यक्ष की मृत्यु और असमर्थता की स्थिति में बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत संचालक द्वारा।

इसलिए मीटिंग के सूक्ष्म ऊपर दिए गए केस में श्री वेन्कट की अनुपस्थिति में अथवा चेयरमैन की मृत्यु पर बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत संचालक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

15- धारा 102 (2)(b) के अनुसार वार्षिक साधारण सभा के अलावा अन्य सभा में किए गए सभी व्यवसाय को विशेष व्यवसाय माना जाएगा।

धारा 102 (1) के अनुसार सभा की सूचना के साथ विशेष व्यवसाय का व्याख्यात्मक विवरण भेजना अनिवार्य है। इस व्याख्यात्मक विवरण द्वारा सदस्यों को प्रत्येक विशेष व्यवसाय के सम्बन्ध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देना है।

(a) सभा के प्रत्येक कार्य में निम्नांकित के हित अथवा रूचि की प्रकृति, वित्तीय अथवा अन्यथा यदि कोई है।

(i) प्रत्येक संचालक अथवा प्रबन्धक यदि कोई है;

(ii) प्रत्येक अन्य प्रमुख प्रबन्धक अधिकारी; एवं

(iii) उपवाक्य (i) एवं (ii) में वर्णित व्यक्ति के रिश्तेदार।

(b) ऐसी कोई अन्य सूचना जिससे कि सदस्य सभा के व्यवसाय का अर्थ, क्षेत्र एवं परिणाम समझने में असमर्थ हो सके और उस पर निर्णय ले सके।

अतः अंशधारकों का औचित्य सही है क्योंकि तथ्य जो कि सोचने हैं उनके विवरण पूर्ण नहीं है। सभा में विचारार्थ व्यवसाय की पूरी जानकारी सूचना के साथ नहीं भेजी गई थी। बढ़ाई जाने वाली पूंजी की मात्रा की जानकारी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सूचना, इसलिये, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अन्तर्गत एक वैध सूचना नही है।

16- ,d dEiuh e uhfrxr i;koj.k mRiUu djuk एक कम्पनी में नीतिगत पर्यावरण उत्पन्न किया जा सकता है तथा निम्नलिखित तरीकों से कम्पनियों में होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकता है :

(i) bl ckr dk lqfuf'pr djd fd deZpkfj;k dk viuh dkuuh rFkk uhfrxr mUkjnkf;Roka dh tkudkjh g

कुछ नीतिपरक संस्थानों की नीति अपने कर्मचारियों को नीतिगत व्यवहार करने के लिए उत्साहित करने की होती है। इसका श्री गणेश उच्च स्तर से करना चाहिए कुछ कम्पनियाँ

© The Institute of Chartered Accountants of India

भारत में तथा विदेशों में नीतिपरक कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध (जानी जाती) हैं। कुछ कम्पनियाँ; जैसे – रेथिओन, टैकसाम इन्स्ट्रूमेन्ट, विप्रो आदि नीतिपरक पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती हैं ताकि उनके कर्मचारी नीतिपरक निर्णय ले सकें।

(ii) . i:cU/kdk rFkk de:pkfj;k d: e/; lEi:"k.k i:.kkyh LFkkfir djd: bl: dkb: Hkh 0;fä /kk[kk/kMh rFkk d:i:cU/k dh l:puk fcuk fdlh Mj d: n: ld:A

भारत, में विप्रो कम्पनी ने वरिष्ठ सदस्यों की एक सहायक फोन सेवा आरम्भ की है जो कि किसी भी कर्मचारी को नैतिक, कूननी अथवा नीतिगत मामलों पर सही सलाह दे सकती है।

(iii) lpr dju: okyk d: lkFk mfpr 0;ogkj djd:

सम्भवतः यह सबसे महत्वपूर्ण तथा गम्भीर मामला है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए सचेत करने वालों के साथ उचित व्यवहार करना आधारभूत आवश्यकता है। कुछ कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए तथा यह कार्य कम्पनी के अन्दर से किया जाना चाहिए न कि बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा।

17- अम्ल वर्षा वैश्विक उष्णता के समान ही अम्ल वर्षा भी पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रही है जिसका प्राकृतिक ईंधन (तेल, कोयला तथा प्राकृतिक गैस) के दहन से बड़ा निकट का सम्बन्ध है जिनका भारी मात्रा में उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। प्राकृतिक ईंधन का जलना विशेषकर कोयला, सल्फर के उच्च स्तर के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइ–ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की भारी मात्रा को छोड़ती है। जब ये गैसें हवा में चलती हैं तो वे बादलों की जल वाष्प से मिलकर नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। यह अम्ल फिर वर्षा के साथ अपने मूल स्त्रोत से सैकड़ों मील दूरी पर नीचे आ जाता है जो प्रायः ऑक्साइड के मूल स्त्रोतों में अम्लता का स्तर बढ़ा देता है। यह मिट्टी में भी अवशोषित हो जाता है और पेडों तथा अन्य वनस्पतियों पर सीधे गिरता है।

अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि तमाम मछलियों की संख्या तथा अन्य समुद्री जल – जन्तु नदियों एवं झीलों में जीने में असमर्थ हो चुके हैं। अन्य अध्ययनों से भी ज्ञात हुआ है कि अम्ल वर्षा ने वनों को प्रत्यक्षतः नष्ट किया है तथा परोक्षतः वन जीवन व वनों पर निर्भर रहने वाली प्रजातियों को भी नष्ट कर दिया जो भोजनादि के लिए वनों पर आश्रित रहते थे। आम्लिक वर्षा जल मिट्टी से जहरीली धातुओं को घोलते हुए जल प्रवाह में चली जाती है, जहां पीने का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। अम्ल वर्षा भवनों, मूर्तियों और अन्य वस्तुओं, विशेषतः जो लोहे, चूने तथा संगमरमर की बनी हैं, को क्षतिग्रस्त व नष्ट कर सकती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

18- uhfr i.k 0;ogkj dju dk dkj.k % विपणन कार्यपालकों को नीतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए क्योंकि यह नैतिक रूप से सही है। विपणन में नैतिक व्यवहार को बनाये रखने के लिए निम्नलिखित सकारात्मक कारण लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं –

1. foi.ku e ?kVr g, tu fo'okl dk de dju d fy, % प्रायः हम धोखा देने वाली पैकिंग, लेबल, विज्ञापन में झूठे दावे, कानों को प्रिय लगने वाली मूल्य सूची, दीर्घकाल से स्थापित व्यापारिक चिन्हों के गलत प्रयोग की खबरें सुनते रहते हैं। इस प्रकार का आचरण बाजार की साख कम कर देता हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए बाजार के नेताओं को लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए यह प्रदर्शित करना होगा कि वे नीतिगत दायित्वों के प्रति जागरूक हैं और इन्हें पूरा भी करेंगे। कम्पनियों को उच्च नैतिक मानक स्थापित करने चाहिए तथा उन्हें लागू भी करना चाहिए। इससे अधिक यह प्रबन्धकों के हित में होगा कि वे उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित करने के लिए चिन्तित रहें क्योंकि वे व्यापार की प्राण वायु हैं।
2. ljdkjh gLr{ki l cpu d fy, %हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता की तुलना में आर्थिक स्वतन्त्रता का मूल्य अधिक है। व्यापारिक उदासीनता, प्रतिरोध अथवा अनीतिपूर्ण व्यवहार के प्रति प्रतीकात्मक प्रत्युत्तर और अधिक सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता ही है। वास्तव में विपणन में अधिकांशतः सरकारी हस्तक्षेप नीतिपूर्ण दायित्वों को न निभाने में असफल होने की स्थिति में ही होता है और एक बार किसी भी प्रकार का सरकारी नियन्त्रण प्रारम्भ हो जाए तो समाप्त होने का नाम नहीं लेता है।
3. lekt }kjk inku dh xbZ 'kfä;k dk iw% ikIr dju d fy, % विपणन कार्यपालकों को समाज से इस कारण से शक्ति प्राप्त है कि वे न केवल बाजार को प्रभावित करते हैं 'बल्कि आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं। फिर भी उनकी इस शक्ति के साथ उनका दायित्व भी जुड़ा रहता है। यदि विपणनकर्ता अपनी शक्ति का उपयोग समाज को स्वीकार तरीके से नहीं करता है, तो कुछ समय पश्चात् उसकी यह शक्ति लोप हो जायेगी।
4. lxBu dh Nfo dk cpku gr % प्रायः क्रेता पूरे संगठन के प्रति एक व्यक्ति से उसके सम्पर्क के आधार पर उसके बारे में धारणा बनाता है। अधिकांश दशाओं में उससे अधिक नहीं, वह व्यक्ति विपणन कार्यों को दर्शाता है। आप किसी एक खुदरा स्टोर के किसी बिक्रीकर्ता के व्यवहार से उसके प्रति अपनी राय कायम कर लेते हैं।

   अतः विपणन में नैतिक व्यवहार को विपणन कार्यपालकों के व्यवहार द्वारा सुदढ़ बनाया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

19- fofHkUu lfefr;k¡ dh Hkfedk fuxfer i'kklu d lpkyu e% विभिन्न समितियों की भूमिका निर्गमित प्रशासन के संचालन में इस प्रकार है –

(1) fun'kd e.My% बोर्ड की भूमिका न्यासी के रूप में अंशधारियों के मूल्य सम्वर्द्धन का संरक्षण एवं उन्नयन लिए रणनीतिक पर्यवेक्षण प्रदान करना है। रणनीति का उद्देश्य उत्तरदायित्व एवं लक्ष्यों की पूर्ति होना चाहिए।

(2) vad{k.k lfefr % इन्हें संचालक मण्डल को आश्वस्त करना होता है कि कम्पनी में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं वित्तीय प्रकटीकरण की पर्याप्तता है।

(3) ikfjJfed lfefr% कार्यकारी संचालक और उससे निचले स्तर के उच्च प्रबन्धन अधिकारियों के पारिश्रमिक की शर्तों को यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करती है।

(4) ukekdu lfefr % निगमीय प्रबन्धन समिति एवं बोर्ड के लिए सदस्यता सम्बन्धी नामांकन यह समिति संचालक मण्डल को प्रस्तुत करती है इसके अतिरिक्त, कार्यकारी निदेश करने, निचले स्तर के उच्च पदस्थ अधिकारी की विदेशी नियुक्तियों सम्बन्धी संस्तुति करती है।

(5) fuos'kd lsok lfefr% निवेशक एवं अंशधारियों की शिकायतों का निपटारा करने के साथ हस्तान्तरण, अंशों के उपविभाजन, डुपलीकेट अंश निर्गमन आदि मामलों का अनुमोदन यही समिति करती है।

(6) fuseh; izcU/k lfefr % कम्पनी के व्यवसाय का रणनीतिक प्रबन्धन जो संचालक मण्डल के अनुमोदित निर्देशन एवं योजनानुसार करती है।

(7) foHkkxh; izcU/k lfefr % यह समिति रणनीतिक एवं युक्तियुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निगमीय प्रबन्ध समिति/ संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित योजनानुसार कार्य करती है।

20- भेदभाव का मूल अर्थ होता है एक वस्तु को दूसरी समान वस्तु को भेदपूर्ण भाव से देखना यसा मानना नियुक्ति भेदभाव का अर्थ है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति, को आयु, लिंग, जाति, धर्म या अन्य आरक्षित श्रेणी या सामाजिक स्थान के आधार पर भेदभाव करना। नियुक्ति में भेदभाव करना गलत है, क्योंकि यह समानता के मूल सिद्धान्त के विरूद्ध होता है। भेदभाव का अर्थ है लोगों के बीच भेदभाव करना यह सामान्यतः इसलिए किया जाता है किसी गलत कारण से किसी अन्य व्यक्ति को योग्यता से अन्य आधार पर लाभ दिया जा सके।

HknHkko d rRo %सामान्यतः भेदभाव का अर्थ होता है एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु को मित्र आधार पर देखना या मानना या लोगों को भिन्नता के आधार पर देखना यह सामान्यतः इस इच्छा से किया जाता है कि किसी गलत रूप से लाभ पहुँचाने के लिए किया जाता है न कि व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर ऐसा

© The Institute of Chartered Accountants of India

भेदभाव व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियुक्ति प्रदान करते समय भी किया जा सकता है। वह तत्व जिनसे भेदभाव उत्पन्न किया जाता है। निम्न होते हैं –

(i) यदि कोई निर्णय एक कर्मचारी या एक से अधिक व्यक्तियों के प्रति किया जाता है और ऐसा निर्णय व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित नहीं है, यह योग्यता कि वह व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है या नहीं या उसकी वरिष्ठता या अन्य नीतिशास्त्र समस्त वैधानिक योग्यता पर आधारित नहीं है।

(ii) यदि लिया गया निर्णय मुख्य रूप से जाति या लिंग भेद पर आधारित है या उसी प्रकार झूठ या अन्य प्रकार के नैतिक रूप से अनुचित धारणा उन लोगों के बारे में जिनमें से वह कर्मचारी आता है।

(iii) यदि ऐसे निर्णय का कर्मचारियों के हितों के दुष्प्रभावी या नकारात्मक प्रभाव डालता है जिसमें उनकी नौकरी जा सकती है या उनकी उन्नति रूक सकती है या उनके वेतन को प्रभावित करता है।

नौकरी में भेदभाव गलत होता है, क्योंकि यह न्याय के मूल सिद्धान्त का उल्लंघन करता है, क्योंकि लोगों के बीच जाति या लिंग का आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। विशेषकर यदि वह उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित नहीं है। इन व्ययों को ध्यान में रखते हुए इससे सम्बन्धित विधान में भी परिवर्तन किया गया है, ताकि ऐसा विधान नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करे और नौकरी में कम–से–कम भेदभाव हो सके।

21- क्षतिपूत्रि बंधक

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 124 में क्षतिपूर्ति के बन्धक अनुबन्ध को परिभाषित किया गया हैं। इस अनुबन्ध के अधीन एक पक्ष दूसरे पक्ष को होने वाली किसी भी वैधानिक क्षतिपूर्ति का आश्वासन देता है और एक बन्धक पत्र द्वारा यह घोषित करता है कि वह स्वयं या अन्य किसी पत्र द्वारा उसको होने वाली क्षति की पूर्ति करेगा। वह व्यक्ति जो क्षतिपूर्ति का आश्वासन देता है कि क्षतिपूर्तिकर्ता कहा जाता है और जिस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की जाती है क्षतिपूर्ती बन्धक धारक कहते हैं। क्षतिपूर्ति बन्धक का प्रारूप आगे दिया गया है :

करदाता का नाम :

स्थायी खाता संख्या (पेन नं.)

कर निर्धारण वर्ष :

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी ..... भारत सरकार को स्त्रोत पर काटे गये कर के प्रमाण – पत्र की छाया प्रति के आधार पर काटे गये कर की जमा राशि का लाभ देने के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति करने का वचन देता हूँ। इस स्त्रोत पर काटे गये कुल कर की राशि में मेरा भाग ..... प्रतिशत है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि स्त्रोत पर काटी गयी कर राशि का दाता व्यक्तियों के समूह ..... ने पहले कभी नहीं किया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

दिनांक : हस्ताक्षर :

स्थान :

22- ¼v½ lekpkj foKfIr dk ik:i cukus d fy, ekxn'kZu % संकुचित अर्थों में समाचार विज्ञप्ति का प्रयोग समाचार से सम्बन्धित विज्ञप्ति देने से है। समाचार विज्ञप्तियों में लाभदायक सामग्री होती है जिसका कुछ समाचार मूल्य होता है।

समाचार विज्ञप्ति पत्रकारिता के तरीके से लिखी जानी चाहिए। इसमें पढ़ने वालों की रूचि के अनुकूल जानकारी व सही तथ्य होने चाहिए और इसे विषय के सभी पहलुआं पर विचार करना चाहिए। यह ऐसे विषय पर होना चाहिए जो नया हो तथा समाचार में हो। यह सामान्यतः लम्बा नहीं होना चाहिए। इसे संक्षिप्त तथा विषय से सम्बन्धित होना चाहिए। इसमें कम महत्व की अथवा छिपी हुई बातों के लिए कोई स्थान नहीं हैं।

प्रस्तावना और मुख्य समाचार औपचारिक रूप से संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि यह एक समाचार कहानी है। विज्ञप्तियों का प्रारूप स्थिर होना चाहिए। प्रायः इस संस्था का नाम सबसे ऊपर दिया होता है, जिसने समाचार विज्ञप्ति प्रसारण के लिए दी है। सीधे हाथ की तरफ तिथि तथा स्थान का उल्लेख होता है। आवश्यक हो तो विज्ञप्ति का शीर्षक तथा उप–शीर्षक दिया जाना चाहिए। इसमें उचित प्रस्तावना भी दी जानी चाहिए। यदि वह अनाधिकृत संस्था की ओर से दिया गया है, तो उसमें उस व्यक्ति का पद व फोन संख्या दी जानी चाहिए।

¼c½ lekpkj oäO; % समाचार वक्तव्य उस समय दिया जाता है जब कोई महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय या समाचार देना हो; जैसे मंत्रिमण्डल में नियुक्ति, विदेशी मेहमानों के द्वारा लिये गये निर्णय, अन्तर्राष्ट्रीय समझौते आदि। समाचार वक्तव्य बहुत औपचारिक होता है। इसमें मंत्रालय अथवा विभाग का नाम तथा तिथि व स्थान सबसे ऊपर बायीं ओर दिया होता है। सामान्यतः समाचार–पत्र कार्यालय से अपेक्षा हाती है कि वह समाचार वक्तव्य को अक्षरशः बिना कोई परिवर्तन किये छापेगा। समाचार वक्तव्य का कोई शीर्षक अथवा उप–शीर्षक नहीं होता।

23- uoiorZu <kp esa iEk[k rRo g %

(i) igpku % कार्य प्रक्रिया में सभी की सक्रिय भूमिका विशेष रूप से कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका संस्था की प्रमुख चुनौती होती है। नवप्रवर्तक उद्योग यह सुनिश्चित करता है कि संस्था के अन्दर प्रत्येक स्कर पर सभी एक दूसरे की पहुंच में रहें।

(ii) uoiorZu dh ekU;rk vkj ijLdkj %एक संस्था या प्रबन्धक एक प्रमुख कदम उठा सकता है, वह नवप्रवर्तन को नौकरी के लिए आवश्यक बना दे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii)uoi;orZu ikRlkgh dEiuh dk;Øe dk fodflr djuk % कुछ कम्पनियां, अपने कर्मचारियों को नये माहौल हेतु विश्राम लेना अथवा किसी कॉलेज में पढ़ाने की छुट्टी होती है। कर्मचारियों को नए माहौल में भेजने से, वे नये लोगों से मिलते हैं उनमें नए विचार आते हैं, और वे अपने लिए विलक्षण मार्गों की खोज कर सकते हैं।

(iv) vukiPkkfjd lapkj dk ?kkf"kr djuk % नवप्रवर्तन में कागजी कार्य परियोजना के दौरान एक प्रमुख अवरोध हो सकता है। कर्मचारी प्रायः दबाव महसूस करते हैं जब उनसे विचारों पर पूर्ण न्याय करने को कहा जाता है। वे झुककर कार्य कर सकते हैं।

(v) lpuk % सूचना के सही प्रकार को नव सूचना कहते हैं। इस प्रकार की सूचना उद्यम के स्थायित्व हेतु बहुत घातक है। नवसूचना योजनाओं, दूरदर्शिता, उद्देश्य और उद्यम को प्रभावित करने वाली सभी योजनाओं से बना होता है। उपभोक्ता की आवश्यकताओं में परिवर्तन और उनको स्वीकार करते हुए नवप्रवर्ती उद्यम लगातार आगे बढ़ता है।

(vi) <kpk % नवप्रवर्ती उद्यमी को लगातार अनुकूलन, रचनात्मकता और नवप्रवर्तन करते रहना चाहिए। सूचना और संचार वे हवाएं होती हैं जो नवप्रवर्ती उद्यम रूपी जहाज को उसके गंतव्य स्थान तक ले जाती हैं। सूचना और संचार, बहुत से उद्योगों के समक्ष कठिन चुनौती रखते हैं। कठिनाई, सूचना के प्रवाह के मध्य संतुलन अर्थात बहुत ज्यादा सूचना अथवा बहुत कम सूचना देने में होती है।

24- नेशनल कम्युनिकेशन एसोसिएशन (राष्ट्रीय संचार संगठन) के अनुसार नीतिपरक संचार उत्तरदायी सोच के लिए मूलभूत आधार होता है और यह निर्णय करने तथा सम्बन्धों को विकसित करने और समुदायों को बनाने चाहे वह उसी सन्दर्भ के भीतर हो या बाहर हो तथा संस्कृत, माध्यम या तंत्र में हो। नीतिपरक मानव मूल्यों को बढ़ाता है और उनके सम्मान में वृद्धि करता है तथा सत्य कर्म, वचन, निष्पक्षता उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत निष्ठा तथा स्वयं और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना को उत्पन्न करता है, जबकि नीतिशास्त्र के विपरीत संचार सभी प्रकार के संचारों को भयभीत करता है और उसके फलस्वरूप मानव और समाज जिसमें हम विचरते हैं, के हित के विपरीत कार्य करता है। संक्षेप में नीतिपरक संचार के पास पूर्णतया विकसित सामाजिक दायित्व का भाव होता है।

नीतिपरक संचार वह होती है जिसमें :

- सभी आवश्यक सूचना सम्मिलित करना।
- सभी तरह का ज्ञान सत्य है, धोखापूर्ण नहीं है।
- यह ठीक और शुद्ध भाव वाला होता है। इससे उस भाषा का उपयोग नहीं होता है जो भ्रामक है, भेदभाव करती है या बढ़ा –चढ़ाकर बताती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- आशावादी अभिवृद्धि के पीछे नकारात्मक सूचना को नहीं छिपाता है।
- विचारों को तथ्य की तरह नहीं बताता।
- आँकड़ों का सही रूप में वर्णन किया जाता है।

25- loxkRed d|'kkxrk % संवेगात्मक कुशाग्रता से अभिप्राय होता है कि अपनी संवेदनाओं को पहचानना तथा दूसरों की संवेदनाओं को भी पहचानना और उसके आधार पर अपने को प्रोत्साहित करना तथा अपनी भावनाओं को अपने में तथा अपने सम्बन्धों में का प्रबन्ध करना।

संवेगात्मक कुशाग्रता से जुड़ी हुई व्यक्तिगत दक्षताएँ निम्न है :

- Lo;a dh tkx:drk loxkRed Lo;a dh tkx:drk% स्वयं की भावनाओं को पढ़ना तथा उनके प्रभाव को पहचानना अपनी अन्तः अभिव्यक्ति द्वारा अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करना।
- lgh vkRe eY;kdu % अपनी क्षमताओं और अक्षमताओं का जानना और मानना।
- vkRe fo'okl % अपनी क्षमताओं को समझना और अपने योग्यता मे विश्वास करना।
- vkRe izcU/ku%
- loxkRed vkRe fu;U=.k % अपना उपवेग उत्पन्नन करने वाली भावनाओं तथा विचारों पर नियंत्रण रखें।
- ikjnf'kZrk % अपनी ईमानदारी, निष्ठा तथा विश्वसनीयता को प्रदर्शित करें।
- vuqdyu'khyrk % परिवर्तित होती परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढ़ालने में लचीलापन अपनाना तथा कठिनाइयों से छुटकारा पाना।
- dk;Zflf) % अपने प्रदर्शन में सुधार करके उत्तमता के मानक को प्राप्त करना।
- ur'Ro inku djuk % अवसरों के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर रहना और अवसर का लाभ उठाना।
- vk'kkokn % घटनाओं के परिणामों के प्रति आशावादी होना।

© The Institute of Chartered Accountants of India